

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निजी सचिव के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में 4 ठिकानों पर छापे
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 02 अगस्त, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर आज ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर में कार्यवाही करते हुये विमलेश कुमार शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्यालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के जयपुर में स्थित 4 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि विमलेश कुमार शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्यालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा अपने एवं अपने परिजनों के नाम से भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा अपनी वैध आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित की गई है, जिनकी बाजार कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है।

उक्त शिकायत का ए.सी.बी. की इन्टेजिलेन्स शाखा द्वारा शिकायत का गोपनीय सत्यापन किया जाकर आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। ए.सी.बी. जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील सिहाग, अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों के साथ, आज अलसुबह आरोपी के जयपुर स्थित 4 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

आरोपी विमलेश कुमार शर्मा के जयपुर स्थित आवास की तलाशी में 10 आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों के दस्तावेज, सोने चांदी के आभूषण एवं दो वाहन मिले हैं। इसके अतिरिक्त 1 बैंक लॉकर एवं 7 बैंक खाते भी मिले हैं। ब्यूरो के प्राथमिक आकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी विमलेश कुमार शर्मा द्वारा करोड़ों रुपये की बाजार कीमत की अनेक परिसम्पत्तियाँ अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक है।

ए.सी.बी. की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में ए.सी.बी. द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाइन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ए.सी.बी. आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।